

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली

क्रमांक:--अ.अ./नि.ख.ता/मुआवजा/2020-21/88

दिनांक:- 8.5.2020

श्रीमान् उपसचिव एवं प्रावै0सहा0
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
विभाग राज0 जयपुर

विषय:-- बीसलपुर परियोजना के आर एल 315.50 मी0 की डूब में आये मकान नं.
22 ग्राम बनेडियाखुर्द बासधाकडान तहसील देवली की धारा-19 के
प्रस्ताव के संबंध में।


प्रसंग:-- आपके कार्यालय के पत्रांक 162 भू.अ./ज0सं0/2015/2913 दिनांक 26.
11.19 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि मकान नं. 22
ग्राम बनेडियाखुर्द बासधाकडान तहसील देवली के निम्न लिखित आक्षेपों/कमियों की पूर्ति
निम्नानुसार है :

1. धारा-11 व 12 के तहत जारी विज्ञप्ति के 2 समाचार पत्रों की प्रति संलग्न हैं।
2. धारा-11 व 12 की विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने का
स्क्रीन शॉट की प्रति संलग्न है।
3. धारा-16 से 18 तक की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
4. धारा-19 के तहत अवाप्त होने वाली भूमि की सूची मंगल फॉन्ट में तैयार कर
संलग्न है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण की धारा--19 की कार्यवाही
कराने की कृपा करें।



अधिशाषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड—तृतीय, बीसलपुर
परियोजना, देवली

क्रमांक:--अ.अ./नि.ख.ता/मुआवजा/2020-21/

दिनांक:--

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, जयपुर।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, बाँध वृत्त, बीसलपुर परियोजना, देवली।


अधिशाषी अभियन्ता

सिचाई विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर

क्रमांक: 162/ भू.अ / ज. सा/2015/1438-1441 दिनांक 23.05.2019 :

चुंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बीसलपुर परियोजना के डूब में आये ग्राम बेनेडिया खुर्द(बासधाकडान)के मकान नं 22 को आवप्ति किया जाना आवश्यक है यह विज्ञप्ति किया जाता है कि नीचे वर्णित इलाकों की भूमि उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है.

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन मे उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जारी की जाती है जिनका इनसे सम्बंध है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर) पुनर्वास बीसलपुर परियोजना देवली को कथित भूमि कि अवाप्त निमित्त करने के लिये निर्देशित किया जाता है

भूमि के नक्शे के निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर) पुनर्वास बीसलपुर परियोजना देवली तथा अधिशाशी अभियंता निर्माण खंड- तृतीय बीसलपुर परियोजना देवली के कार्यालय मे किये जा सकता है

विवरण

बीसलपुर परियोजना के आर. एल. 315.50 मी. के डूब मे आये मकान नंबर 22 (आबादी) ग्राम बेनेडिया खुर्द बास धाकरान तहसिल देवली जिला टोंक के धारा-19 की सूची

क्रम संख्या	नाम मकान मालिक	मकान नंबर	रिमार्क
१	टीकमचन्द, गोरधन, चन्दप्रकाश पुत्र माणक चन्द जाति महाजन लीला देवी पत्नि त्रिलोक चन्द जाति महाजन कु० प्रियका जैन, श्वेता, अंतिमा, अनामिका, रानू पुत्रिया त्रिलोक चन्द जाति महाजन शिखर चन्द पुत्र त्रिलोक चन्द जाति महाजन जरिये सरपरस्ती माता लीला देवी पत्नी त्रिलोक चन्द जाति महाजन निवासी नासिरदा तहसिल देवली जिला टोंक	22 (आबादी)	मुआवजा भुगतान हेतु धारा 11-12 का गजट प्रकासन दिनांक 23-05-2019 को हुआ था, अब धारा -19 की कायवाही प्रस्तावित है